

SUPREME COURT OF INDIA

Dated:-22.10.2019

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed that the Competent Authority has directed that if any person/ litigant finds any difficulty or inconvenience to understand any provision of the Supreme Court Rules, 2013, he may contact Supreme Court Legal Services Committee for necessary legal assistance.

By Order,



(Deepak Jain)
Registrar (J-II)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 22.10.2019

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि यदि किसी वादकारी / व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय नियमावली 2013 के किसी प्रावधान को समझने में कोई असुविधा/ कठिनाई होती है तो वह सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से आवश्यक विधिक सहायता के लिए संपर्क कर सकता है।

आदेश से,

-sd-

(दीपक जैन)

रजिस्ट्रार (जे-II)